4/2/24 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
वकील अप्रार्थीगण के जप जवाब मय
पत्र दस्तावेजात पेश किये। जिनकी

आदेश की	हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल का नम्बर/दिनांक

नकल प्रार्थी वकील को दिलवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस प्रा० पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण मेरी खातेदारी कृषि भूमि में अवैध खाला का निर्माण कर रहे हैं। जिसके वे विधिक अधिकारी नहीं है अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रा० पत्र के तथ्य को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि ग्राम पंचायत 12 एच द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत विवादित कृषि भूमि ग्राम पंचायत के किला नं.-5,6,15,16,25 में कच्चे खाला की जगह पक्के खाले का निर्माण किया। जन जन सुविधा को देखते हुए किया जा रहा है। इस पक्का खाले का निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति श्रीमान् महावीर प्रसाद वर्मा जिला कलेक्टर महोदय श्रीगंगानगर द्वारा 608472/- रुपये की वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई। प्रार्थी हम अप्रार्थीगण की आड लेकर पंचायत 12 एच द्वारा करवाये जा रहे पक्के खाले का निर्माण को रोकना चाहता है।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। पत्रावली पर तथ्यों एवं दस्तावेजात से स्पष्ट जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत 12 एच की विवादित कृषि भूमि में किला नं. 5,6,15,16,25 में महात्मा गांधी महानरेगा योजना कार्यक्रम के तहत पक्के खाले का निर्माण किया जा रहा है। राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 के तहत जलधाराओं तथा खालों

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

संबंधी अपवाद के अन्तर्गत राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से किसी काश्तकार द्वारा खातेदारी अधिकारों के अन्तर्गत धारित कृषि भूमि में से तथा उसके बारे में एतद् द्वारा या उसके किसी भाग में स्थित विनिर्दिष्ट जलसरणियों के लिए पहले से चिन्हित खोदे हुये या अन्यथा उपयोग में लाये गये समस्त स्थल और उक्त भूमि या उसके किसी भाग के बारे में राज्य सरकार द्वारा अब तक उपयुक्त समस्त सुखाधिकार के साथ-साथ उक्त भूमि या उसके किसी भाग में या उसके नीचे समस्त खानों तथा खनिजों कोयला खनिज धातुओं भूमि तेल तथा खदानों के तथा उन पर विद्यमान समस्त अधिकार निम्नलिखित को पूर्ण रूप से अलग करती है तथा अपने पास आरक्षित करती है। राज. उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) शर्तें 1955 की शर्त 8 के तहत जल सारणी के निर्माण या परिवर्तन करने का अधिकार तथा गांव की सड़क बनाना के भाग-न में वर्णित किया गया है कि जब अनुदान कृषि प्रयोजनों के लिए दिया जाता हो तो सरकार स्वयं में आरक्षित तथा उपबंधित करती है जल सारणी के संनिर्माण या सामान्य या विद्यमान जल सारणी को परिवर्तित करने का अधिकार खण्ड सिंचाई अधिकारी से परामर्श के पश्चात जब कभी भी कलक्टर द्वारा यह वांछनीय समझा जाता है। उक्त खाला जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जारी की गई है प्रार्थी उक्त तथ्य छुपाकर अप्रार्थीगण को पार्टी बनाने की मंशा से श्रीमान जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा स्वीकृत पक्के खाले के निर्माण को रोकना चाहता है जिसका प्रार्थी विधिक अधिकारी नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनना पाया जाता है।

म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	जारी तामिल नम्बर/दि
	जहां तक सुविधा के संतुलन का बिन्दु का प्रश्न है उक्त विवादित कृषि भूमि मे पक्के खाले का निर्माण को अगर न्यायालय आदेश की आड मे रोका जाता है तो अप्रार्थी गण अपनी कृषि भूमि को प्राप्त होने वाली सिंचाई सुविधा से वंचित हो जायेगें तथा अप्रार्थीगण सिंचाई हेतु प्राप्त होने वाले पानी व्यर्थ चला जायेगा। जबकि उक्त पक्के खाले के निर्माण होने से प्रार्थी भी अपनी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पुरा पानी प्राप्त करने लगेगा। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है। यदि ग्राम पंचायत /उपखण्ड द्वारा पूर्व मे चल रही कच्ची शाखा की जगह पर ही पक्के खाले का निर्माण करवाया जा रहा है। जिससे प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं बल्कि अप्रार्थीगण को सिंचाई सुविधा हेतु दी गई सुविधा से वंचित होने पर अपूरणीय क्षति होगी। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विरुद्ध तय किये गये है। प्रार्थी न्यायालय से प्रस्तुत प्रा० पत्र के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र 39 CPC खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 5/4/24 को सरे इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (पवन कुमार) उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़	